प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र.नि.ब्यू.टोंक(राज0), थाना प्र.आ.के.,भ्र0नि0ब्यूरो,जयपुर, वर्ष 2022
प्र.ई.रि.सं. 482/22 दिनांक 22/12/2022
2.–(1) अधिनियम भ्र0नि0(संशोधन) अधि0 2018 धारायें .... 7..........
(2) अधिनियम.............................. धारायें ....
(3) अधिनियम.......................... धारायें......................................
(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....
3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या.................429.........समय..........5:35 P.M.
(ब) अपराध के घटने का दिन :– बुद्धवार दिनांक 21.12.2022, समय 10:45 ए0एम0
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक – 20.12.2022, समय 11.55 ए0एम0
4.–सूचना की किस्म :–लिखित / मौखिक लिखित
5–घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण 65 किलोमीटर चौकी हाजा ए.सी.बी.,टोंक से
(ब) पता– गणेश रोड, देवली पुलिस थाना देवली जिला टोंक ....बीट सं....जरायमदेही सं........
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं,तों पुलिस थाना ....जिला...............
6.– परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ).–नाम :– **श्री सियाराम मीना पुत्र श्री मदनलाल मीना जाति मीना उम्र 25 साल निवासी ग्राम स्यावता पोस्ट कनवाडा तहसील दूनी जिला टोक**
(ब).–राष्ट्रीयता :– भारतीय
(स).–पासपोर्ट संख्या.........................जारी होने की तिथि....................जारी होने की जगह.
(द).–व्यवसाय :– राज्य कर्मचारी ।
7.– ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

श्री अर्जुन लाल पुत्र श्री जयनारायण जाति मीना उम्र 54 साल निवासी मीनो का नयागॉव **तहसील सावर जिला अजमेर हाल सापन्दा रोड, आजाद नगर कॉलोनी केकडी जिला अजमेर** हाल **सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना देवली जिला टोक**

8.– परिवादी /सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारण :– ....
9.– चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टिया (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।):– ट्रेप राशि रूपयें 5,000/– रूपये
10.–चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्य 5,000/–रूपयें ट्रेप राशि
11.–पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो)..
12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक

विषय :– रिश्वत लेते हुये को पकडवाने बाबत्।

महोदय,

निवेदन है कि मैं सियाराम मीना पुत्र श्री मदनलाल मीना जाति मीना उम्र 25 साल निवासी ग्राम स्यावता पोस्ट कनवाडा तहसील दूनी जिला टोक का रहने वाला हुं। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विघालय ग्राम गांगीथला तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा में प्रयोगशाला सहायक के पद

पर कार्यरत हुँ। दिनांक 16.12.22 को मेरे जन्मदिन की पार्टी ग्राम मोरला में अशोक मीना के फार्महाउस पर मनाई थी। जिसमें मेरे साथी कर्मचारीगण व मिलने वाले थे। पार्टी के दौराने ही अशोक मीना ने प्रिंसीपल श्री प्रहलाद रेगर व श्री सुरेन्द्र कुमार नामा को फोन करके कहासुनी की थी। जिसकी रिपोर्ट श्री प्रहलाद रेगर व श्री सुरेन्द्र कुमार नामा ने थाना देवली पर की थी। जिसमें मेरा व अशोक मीना, प्रसन्ना पॉल, राकेश वर्मा का नाम लिखवाया है। जिसकी जांच श्री अर्जुनलाल मीना ए.एस.आई. साहब थाना देवली कर रहे है। मेरा नाम रिपोर्ट में झूठा लिखवाया गया है तब भी ए.एस.आई. साहब आये दिन फोन करके मुझे परेशान कर रहे तथा मेरे खिलाफ कार्यवाही नही करने की एवज में 50 हजार रूपये मॉग रहे है। मैं ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को रिश्वत नही देना चाहता हुँ तथा रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुँ। श्री अर्जुनलाल मीना ए.एस.आई. साहब थाना देवली से मेरी किसी प्रकार की कोई रंजीश व पैसों का लेन देन बकाया नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।

प्रार्थी
सियाराम मीना पुत्र श्री मदनलाल मीना जाति मीना
उम्र 25 साल निवासी ग्राम स्यावता पोस्ट कनवाडा
तहसील दूनी जिला टोक मो0न0 9610951787

कार्यवाही पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक

दिनांक 20.12.22 समय 11.55 एएम. पर परिवादी श्री सियाराम मीना पुत्र श्री मदनलाल मीना जाति मीना उम्र 25 साल निवासी ग्राम स्यावता पोस्ट कनवाडा तहसील दूनी जिला टोक ने उपस्थित चौकी हाजा होकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 16.12.22 को मेरे जन्मदिन की पार्टी ग्राम मोरला में अशोक मीना के फार्महाउस पर मनाई थी। जिसमें मेरे साथी कर्मचारीगण व मिलने वाले थे। पार्टी के दौराने ही अशोक मीना ने प्रिंसीपल श्री प्रहलाद रेगर व श्री सुरेन्द्र कुमार नामा को फोन करके कहासुनी की थी। जिसकी रिपोर्ट श्री प्रहलाद रेगर व श्री सुरेन्द्र कुमार नामा ने थाना देवली पर की थी। जिसमें मेरा व अशोक मीना, प्रसन्ना पॉल, राकेश वर्मा का नाम लिखवाया है। जिसकी जांच श्री अर्जुनलाल मीना ए.एस. आई. साहब थाना देवली कर रहे है। मेरा नाम रिपोर्ट में झूठा लिखवाया गया है तब भी ए.एस.आई. साहब आये दिन फोन करके मुझे परेशान कर रहे तथा मेरे खिलाफ कार्यवाही नही करने की एवज में 50 हजार रूपये मॉग रहे है। मैं ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को रिश्वत नही देना चाहता हुँ तथा रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुँ। श्री अर्जुनलाल मीना ए.एस.आई. साहब थाना देवली से मेरी किसी प्रकार की कोई रंजीश व पैसों का लेन देन बकाया नही है। प्रार्थना पत्र परिवादी को पढकर सुनाया गया तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वय द्वारा लिखना व स्वय के हस्ताक्षर होना बताते हुये प्रार्थना पत्र में अकित के तथ्यों की ताईद की। परिवादी सियाराम मीना द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर परिवादी ने मजिद दरियाप्त पर बताया कि 16.12.22 को मेरे जन्मदिन की पार्टी ग्राम मोरला में अशोक मीना के फार्महाउस पर मनाई थी। जिसमें मेरे साथी कर्मचारीगण व मिलने वाले थे। पार्टी के दौराने ही अशोक मीना ने प्रिंसीपल श्री प्रहलाद रेगर व श्री सुरेन्द्र कुमार नामा को फोन करके कहासुनी की थी। जिसकी रिपोर्ट श्री प्रहलाद रेगर व श्री सुरेन्द्र कुमार नामा ने थाना देवली पर की थी। जिसमें मेरा व अशोक मीना, प्रसन्ना पॉल, राकेश वर्मा का नाम लिखवाया है। जिसकी जांच श्री अर्जुनलाल मीना ए.एस.आई. साहब थाना देवली जिला टोक कर रहे है। मेरा नाम रिपोर्ट में झूठा लिखवाया गया है तब भी ए.एस.आई. साहब आये दिन फोन करके मुझे परेशान कर रहे तथा मेरे खिलाफ कार्यवाही नही करने की एवज में 50 हजार रूपये मॉग रहे है। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं मजिद दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर समय 1.10 पी.एम. पर श्री

राजकुमार कानि. 160 को तलब कर परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया। कार्यालय आलमारी में से मौ0जुनैद हैड कानि0 द्वारा सरकारी डिजीटल वायस रिकॉर्डर निकलवाकर उसमें एक खाली मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन व रखरखाव की विधि की समझाईश की जाकर उचित हिदायत दी गई डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के श्री राजकुमार कानि. 160 को सुपुर्द कर परिवादी व कानि. को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु देवली जिला टोक रवाना किया गया समय 5.10 पी.एम. पर श्री राजकुमार कानि. 160 ने जरिये दूरभाष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि परिवादी व आरोपी के मध्य वार्ता हो गई है। उस वार्ता को मेरे द्वारा सुना गया तो आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 5000 रूपये की मॉग कर रहा है तथा आज ही रिश्वत राशि देने हेतु कह रहा है। इस पर परिवादी श्री सियाराम मीना से भी वार्ता की गई तो उसने भी बताया कि श्री अर्जुन लाल मीना एएसआई साहब से वार्ता हो गई है जो वार्ता मैंने आपके द्वारा दिये वायस रिकार्डर में रिकार्ड कर ली है तथा वायस रिकार्डर श्री राजकुमार जी को दे दिया है। श्री अर्जुन लाल जी ए.एस.आई. साहब द्वारा आज ही रिश्वत की राशि देने हेतु कहा है। इस पर परिवादी को रिश्वती राशि के बारे में पूछा गया तो उसने स्वंय के पास होना बताते हुये बताया कि आपके कार्यालय में उपस्थित होने में समय अधिक लगेगा। जिस पर परिवादी व राजकुमार कानि. को हिदायत दी गई कि वह सुरक्षित स्थान केन्द्रीय विघालय के सामने देवली पर इंतजार करे। मैं कार्यवाही हेतु मय स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता तथा आवश्यक साम्रगी लेकर देवली पहुँच रहा हुँ। समय 5.20 पी.एम. पर श्री महेश कुमार कानि. 17 को कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु आयुक्त नगर परिषद टोक के नाम पत्र जारी कर उचित हिदायत कर रवाना किया गया तथा प्राईवेट गाडी हेतु फोन किया गया। समय 5.50 पी.एम. पर श्री महेश कुमार कानि. हमराह कार्यालय आयुक्त नगर परिषद टोक से दो स्वंतत्र गवाह 1. श्री सत्येन्द्र कुमार लोदी पुत्र श्री मोहन लाल बैरवा उम्र 47 साल निवासी मोतीबाग बड़ा बेड़ा टोंक हाल कनिष्ठ सहायक नगर परिषद् टोंक मोबाईल नम्बर 98876542192. 2. श्री कन्हैया लाल चौहान पुत्र स्वं0 श्री तेजमल चौहान उम्र–53 साल जाति– दर्जी निवासी– टिक्कीवालो का मौहल्ला पुरानी टोक हाल–सहायक प्रशासनिक अधिकारी नगर परिषद टोक मो0नं0 9414657220 के उपस्थित कार्यालय आये। दोनो गवाहान का परिचय लिया जाकर स्टाफ से परिचय करवाया गया। दोनो गवाहान से ब्यूरो द्वारा की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति चाही तो दोनो ने अपनी–अपनी सहमति दी। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र गवाहान को पढाया जाकर उनके हस्ताक्षर करवाये गये। प्राईवेट वाहन चालक मय गाडी के कार्यालय उपस्थित आया। समय 6.00 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री मोहम्मद जुनैद हैड कानि.32, श्री ईश्वर प्रकाश कानि. 256, श्री भूपेन्द्र कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी भ्रनिब्यूरो टोक मय सरकारी गाडी बोलेरो मय चालक श्री गणेश सिह तथा श्री हनुमान प्रसाद हैड कानि. 74, श्री अजीत सिह कानि0 56, श्री महेश कुमार कानि. 17 गवाह श्री सत्येन्द्र कुमार लोदी,गवाह श्री कन्हैया लाल चौहान मय लैपटॉप प्रिन्टर एवं तैयारशुदा ट्रेपबॉक्स मय सरकारी वायॅस रिकार्डर के मय प्राईवेट वाहन टवेरा तथा सरकारी वाहन बोलेरो में भूपेन्द्र कुमार द्वारा कार्यालय आलमारी से फिनोल्फथलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर सरकारी गाडी बोलेरो के डेस्क बॉक्स में सुरक्षित रखवायी जाकर सरकारी वाहन बोलेरो व प्राईवेट वाहन से वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु देवली के लिये रवाना हुआ। समय 7.10 पी.एम. मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता मय सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन से नेगडिया रोड, देवली स्थित केन्द्रीय विघालय के पास पहुँचा। जहॉ वाहनो को विधालय के सामने रोड पर एक साईड एकान्त में खडा किया गया वही पर श्री राजकुमार कानि. व परिवादी सियाराम मीना उपस्थित मिले। परिवादी का गवाहान से परिचय करवाया गया। श्री राजकुमार कानि द्वारा वायस रिकार्डर प्रस्तुत कर आरोपी श्री अर्जुन लाल मीना व परिवादी के मध्य होने वाली रिकार्ड वार्ता में रिश्वत मॉग होना

बताया। जिस पर श्री राजकुमार कानि. से वायस रिकार्डर प्राप्त कर रिकार्डर को चालू कर वार्ता को सुना गया तो आरोपी द्वारा रिश्वत की मॉग करना सत्यापित हुआ। जिसे उपस्थित गवाहान को भी मुख्य–मुख्य अंश सुनाये गये। समय 7.30 पी.एम. पर परिवादी सियाराम मीना को आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 10 नोट कुल 5 हजार रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये। उक्त नोटों के नम्बर फर्द में अंकित करवाये जाकर सरकारी वाहन के डेस्क बाक्स से फिनोल्फथलीन पाउडर की शीशी श्री भूपेन्द्र कुमार सहा0प्रंशा0 अधिकारी से निकलवाई जाकर श्री भूपेन्द्र कुमार से ही सरकारी गाडी बोलेरो के बोनट पर अखबार बिछा कर रोशनी की समुचित व्यवस्था कर उक्त नोटों के दोनो तरफ फिनोल्फथलीन पाउडर लगवाया गया एवं फिनोल्फथलीन पाउडर की शीशी को वापस श्री भूपेन्द्र कुमार से सरकारी गाडी के डेस्क बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी सियाराम मीना की तलाशी स्वतत्र गवाह श्री सत्येन्द्र कुमार लोदी से लिवाई जाकर कोई वस्तु नही छोडते हुये रिश्वती राशि परिवादी सियाराम मीना के पहनी हुयी पेन्ट की दायी जेब में श्री भूपेन्द्र कुमार से रखवाये गये। गवाहान व परिवादी को सोडियम कार्बोनेट व फिनोल्फ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रकिया का दृष्टान्त देकर समझाई गई तथा परिवादी को अपने सिर पर से टोपे को हटा कर रिश्वत राशि के लेनदेन का निर्धारित ईशारा करने की समझाईश की गई एवं उक्त ईशारा ट्रेप पार्टी को भी समझाया गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। परिवादी से आरोपी की लोकेशन के सम्बंध मे पूछा तो परिवादी ने बताया कि एएसआई साहब थाने पर ही मिलेगे उन्होने मुझे थाने पर ही बुलाया है। समय 8.30 पी.एम. पर श्री भूपेन्द्र कुमार व सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक गणेश सिंह को केन्द्रीय विघालय देवली के सामने छोडकर श्री राजकुमार कानि0 को रिश्वत लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु परिवादी को वायस रिकार्डर चालू कर देने हेतु दिया जाकर वास्ते ट्रेप कार्यवाही मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी श्री सियाराम मीना स्वतंत्र गवाहान श्री सत्येन्द्र कुमार लोदी व श्री कन्हैया लाल चौहान व हमराही जाप्ता श्री मौ0जुनैद हैड कानि. 32, श्री हनुमान प्रसाद हैड कानि0 74 ,श्री महेश कुमार कानि. 17, श्री अजीत सिह कानि. 56, श्री ईश्वर प्रकाश कानि. 256, श्री राजकुमार कानि0 मय प्राईवेट वाहन से केन्द्रीय विघालय देवली से पुलिस थाना देवली के लिये रवाना हुआ। समय 8.45 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय परिवादी मय गवाहान व जाप्ता के पुलिस थाना देवली के पास पहुँचा। गाडी को साईड में खडी करवाकर परिवादी सियाराम मीना को राजकुमार कानि. से सरकारी वॉयस रिकार्ड चालू कर सुपुर्द करवाकर परिवादी को आरोपी एएसआई से सम्पर्क कर रिश्वत राशि देने हेतु पुलिस थाना देवली के लिये रवाना कर परिवादी के पिछे–पिछे श्री राजकुमार कानि. श्री महेश कुमार कानि. व गवाह श्री सत्येन्द्र कुमार को पुलिस थाना देवली रवाना किया गया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के उनके पीछे–पीछे रवाना हुये। समय 9.00 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास परिवादी सियाराम मीना उपस्थित आया ओर रिकॉर्डर पेश किया जिसे बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा। तथा परिवादी ने बताया कि अर्जुन जी एएसआई साहब थाने पर उपस्थित नही है मैने जानकारी की तो बाहर जाना बताया है। तत्पच्यात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी के मोबाईल फोन से आरोपी के मोबाईल फोन पर कॉल करवाया तो आरोपी ने कॉल नही उठाया। परिवादी ने बताया कि शायद एएसआई साहब कही पार्टी वगैरा मे चले गये है। अब एएसआई साहब की थाने पर आने की सम्भावना नही है तथा मुझे उनके निवास की जानकारी नही है। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी मय हमराहियान मय रिकार्डर मय प्राईवेट वाहन से रवाना हुआ। समय 9.15 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी मय हमराहियान के केन्द्रीय विधालय नेगडिया रोड,देवली पहुचा। परिवादी की दायी जैब से रिश्वती राशि श्री भूपेन्द्र कुमार से

निकलवाई जाकर एक खाकी लिफाफे मे सुरक्षित रख कर सरकारी गाडी बोलेरो के डेक्स बॉर्ड मे रखवाई गई। परिवादी को समझाईश कि गई की आरोपी का जब भी कॉल आये या सम्पर्क करे तो मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या राजकुमार कानि को अवगत करवाये। परिवादी को उचित हिदायत देकर मौके से रूखस्त कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान मय रिकार्डर मय रिश्वती राशि मय ट्रेप बाक्स मय लेपटॉप–प्रिन्टर के सरकारी वाहन बोलेरो व प्राईवेट वाहन से कार्यालय भ्रनिब्यूरो टोक के लिये रवाना हुआ। समय 10.30 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान जाप्ता मय गवाहान मय रिकार्डर मय रिश्वती राशि मय ट्रेप बाक्स मय लेपटॉप–प्रिन्टर मय फिनोल्फथलीन पाउडर की शिशि के कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया। श्री भूपेन्द्र कुमार से सरकारी गाडी बोलेरो के डेक्स बॉर्ड से रिश्वती राशि व फिनोल्फथलीन पाउडर की शिशि को निकलवाकर सुरक्षित कार्यालय आलमारी मे रखवाया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास पूर्व से रखे रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित सरकारी वॉयस रिकार्डर को कार्यालय आलमारी मे सुरक्षित रखा गया। स्वतंत्र गवाहान व प्राईवेट वाहन चालक को मय वाहन के प्रातः 8.00 एएम पर कार्यालय हाजा पर आने की हिदायत देकर कार्यालय हाजा से रूखस्त किया गया। दिनांक 21.12.2022 समय 8.15 ए.एम. पर पूर्व के पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री सत्येन्द्र कुमार लोदी व श्री कन्हैया लाल चौहान व प्राईवेट वाहन चालक मय वाहन के कार्यालय पर उपस्थित आये। समय 8.47 ए.एम. पर परिवादी ने जरिये दूरभाष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि आरोपी एएसआई साहब का मेरे पास अभी फोन आया है ओर मुझे पुलिस थाने पर बुला रहे है। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को कुचलवाडा रोड पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया तथा श्री भूपेन्द्र कुमार द्वारा कार्यालय आलमारी से पूर्व मे रखी रिश्वती राशि को निकलवाकर श्री भूपेन्द्र कुमार के पास सुरक्षित रखवाई जाकर समय 9.00 एएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान श्री मौ0 जुनेद हैड कानि0, श्री हनुमान प्रसाद हैड कानि0, श्री ईश्वर प्रकाश कानि0 ,श्री राजकुमार कानि0,श्री महेश कुमार कानि0, श्री अजीत सिह कानि0 मय स्वतंत्र गवाहान श्री सत्येन्द्र कुमार व कन्हैयालाल मय भूपेन्द्र कुमार मय रिश्वती राशि मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप–प्रिन्टर मय रिकार्डर के प्राईवेट वाहन से देवली रवाना हुआ। समय 10.05 ए.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता मय प्राईवेट वाहन से कुचलवाडा रोड देवली पहुँचा। जहॉ वाहन को रोड पर एक साईड एकान्त में खडा किया गया वही पर परिवादी सियाराम मीना उपस्थित मिला। परिवादी के शरीर पर पहनी हुई जिन्स पेन्ट की दाहिनी जेब की तलाशी गवाह श्री सत्येन्द्र कुमार से लिवाई जाकर कोई वस्तु नही छोडते हुये श्री भूपेन्द्र कुमार के पास सुरक्षित रखी रिश्वती राशि को लिफाफे से निकलवाकर रिश्वती राशि 5000/–रूपये परिवादी की दाहिनी जैब मे भूपेन्द्र कुमार से रखवाई गई। तथा श्री भूपेन्द्र कुमार को उचित हिदायत मुनासिब कर टोक कार्यालय पहुचने हेतु मोके से रवाना कर समय 10.15 एएम पर श्री राजकुमार कानि0 को वॉयस रिकार्डर सुपुर्द कर समझाईश की गई कि परिवादी को रिश्वत राशि लेन–देन के वक्त वार्ता को रिकार्ड करने हेतु वॉयस रिकार्डर सुपुर्द कर रिश्वती राशि का निर्धारित ईशारा आखो पर चश्मा लगा कर करने की समझाईश की। परिवादी व कानि0 को परिवादी की स्वय की मोटरसाईकिल से पुलिस थाना देवली रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान जाप्ता,गवाहान के प्राईवेट वाहन से परिवादी के पिछे–पिछे पुलिस थाना देवली रवाना हुआ। समय 10.25 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय प्राईवेट वाहन से परिवादी के पिछे–पिछे पुलिस थाना देवली के पास पहुचा जहा पर श्री राजकुमार कानि0 ने सरकारी रिकार्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर आरोपी से सम्पर्क कर रिश्वती राशि देने हेतु पुलिस थाना देवली रवाना किया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के पुलिस थाना देवली परिसर के आस–पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार मे मुकिम हुआ।

समय 10.40 ए.एम. पर परिवादी एक व्यक्ति के साथ पुलिस थाना देवली के बाहर निकला और मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की तरफ हाथ से पिछे–पिछे आने का ईशारा कर उक्त व्यक्ति की मोटर साईकिल के पिछे–पिछे अपनी मोटरसाईकिल से छतरी चोराहा देवली की तरफ रवाना हुआ। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय प्राईवेट वाहन से परिवादी के पिछे–पिछे रवाना हुआ। समय करीब 10.45 ए0एम0 पर परिवाादी श्री सियाराम मीना ने अपने मुहॅ पर चश्मा लगाकर रिश्वत लेनदेन का निर्धारित ईशारा करने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान व गवाहान के गणेश रोड देवली पर परिवादी के पास पहुॅचा। जहॉ पर परिवादी श्री सियाराम मीना ने बताया कि अभी–अभी श्री अर्जुनलाल स.उ.नि. मुझसे रिश्वत राशि लेकर अपनी मोटरसाईकिल से रवाना हो गये। जिसने काला ट्रेक सूट पहन रखा है। इस पर परिवादी को हमराह लेकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी के परिवादी की मोटरसाईकिल व प्राईवेट वाहन के रवाना होकर ममता सर्किल देवली टोक पर स्थित वत्सल मोबाईल शोप के सामने पहुॅचे। जहॉ एक व्यक्ति काला ट्रेक सूट पहन कर मोटइरसाईकिल पर दिखा। जिसकी तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही श्री अर्जुनलाल मीना सहायक उप निरीक्षक थाना देवली है। जिन्होने अभी गणेश रोड, देवली पर मुझसे 5000 रूपये रिश्वत के मॉगकर, गिनकर अपने लोवर की जेब में रखे है। इस पर उक्त व्यक्ति को हमराहियान जाप्ते की सहायता से रूकवाकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम अर्जुन लाल पुत्र श्री जयनारायण जाति मीना उम्र 54 साल निवासी मीनो का नयागॉव तहसील सावर जिला अजमेर हाल सापन्दा रोड, आजाद नगर कॉलोनी केकडी जिला अजमेर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना देवली जिला टोक होना बताया तथा श्री अर्जुनलाल मीना स.उ.नि. शोर शराबा करने लगा जिसको वत्सल मोबाईल शोप के अन्दर ले जाकर समझाईस की तो आरोपी चिल्लाने लगा जिस कारण मौके पर काफी भीड एकत्रित हो गई। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरक्षा के मध्यनजर मय ट्रेप पार्टी सदस्य व परिवादी व आरोपी को हमराह लेकर पुलिस थाना देवली पहुॅचा। **परिवादी श्री सियाराम मीना से 5000 रूपये रिश्वती राशि लेने बाबत् पूछा तो एकदम घबरा गया तथा कहने लगा कि मैंने कोई रूपये नही लिये है। उपस्थित परिवादी सियाराम मीना ने स्वतः ही बोला की ए.एस.आई. साहब झूठ बोल रहा है। इस पर परिवादी सियाराम मीना ने बताया कि मैं कल दिनांक 20.12.2022 को एएसआई साहब से मिला था । जिन्होने मुझ से मेरा नाम जांच मे से निकालने व मेरी मदद करने की एवज मे 5000/–रूपये की मांग की थी जिसके सन्दर्भ मे आज मै आपके पास से रवाना होकर थाना देवली पर पहुॅचा। जहॉ पर श्री अर्जुनलाल मीना ए.एस.आई. साहब मिले। जिनसे मैने मेरे मामले के बारे में पूछा तो दर्ज परिवाद के कागज बताते हुये कहॉ कि यह तेरे खिलाफ शिकायत है। फिर मैने कहॉ कि इसको निपटाओ इस पर कहॉ कि अब कोई परेशानी वाली बात नही है तथा मुझे साथ लेकर थाने के बाहर आ गये तथा मुझे अपने पीछे आने का ईशारा कर ए.एस.आई. साहब अपनी मोटरसाईकिल से रवाना हो गये। मैं भी उनके पीछे–पीछे रवाना हो गया। रवाना होने से पूर्व मैंने आपको व श्री राजकुमार जी को मेरे पीछे आने का ईशारा हाथ से कर दिया था। मैं व ए.एस.आई. साहब गणेश रोड पर रूके। जहॉ ए.एस.आई. साहब ने मेरे से रिश्वत राशि 5000 रूपये प्राप्त कर ए.एस.आई. साहब अपनी मोटरसाईकिल से वापस छतरी चौराहे की तरफ रवाना हो गये।** इसी दौराने मैने रिश्वति राशि प्राप्ति का निर्धारित ईशारा ऑखो पर चश्मा लगाकर किया। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी को पुनः तसल्ली देकर परिवादी से ली गई रिश्वत के बारे में पूछा तो बताया कि उसने कहा कि मैने कोई रूपये नही लिये है। परिवादी को वक्त लेन देन वार्ता को रिकार्ड करने हेतु दिया गया विभागीय वायस रिकार्डर प्राप्त कर सुना गया तो वार्ता होना पाया गया। जिसकी अलग से फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार करवाई जावेगी। तत्पश्चात् गाडी में से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर दो साफ कांच के

गिलासों में वहीं से साफ पानी भरवाया जाकर एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित था। उक्त तैयारशुदा घोल के एक गिलास में आरोपी अर्जुन लाल मीना सहायक उप निरीक्षक के दाहिने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन को दिखाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क आर–1, आर–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा कांच के दूसरे गिलास के घोल में आरोपी अर्जुनलाल मीना सहायक उप निरीक्षक के बांये हाथ की अंगूलियो व अंगूठे को डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन को दिखाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क एल–1, एल–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी अर्जुनलाल मीना सहायक उप निरीक्षक से परिवादी से ली गई रिश्वती राशि 5000 रूपये के बारे में पूछा तो उसने रिश्वति राशि लेने से मना कर दिया। तभी परिवादी ने बताया कि ए.एस.आई. साहब ने रिश्वति राशि मेरे से लेकर अपने हाथो से गिनकर अपने पहने हुये लोवर के सामने की बायी जेब में रखे थे। **श्री अर्जुनलाल मीना सहायक उप निरीक्षक के लोवर के सामने की बायी जेब की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री सत्येन्द्र कुमार लोदी से लिवाई गई तो जेब में रिश्वति राशि बरामद नही हुयी। जिस पर श्री अर्जुनलाल मीना सहायक उप निरीक्षक को पुनः तसल्ली देकर पूछा तो चुप हो गया तथा रोने लगा और कहने लगा कि मेरी जिन्दगी खराब हो जायेगी और बताया कि मैरे द्वारा प्रहलाद रेगर पुत्र मानाराम रेगर निवासी नेवरबाग ऐजेन्सी एरिया देवली के परिवाद की जांच की जा रही थी जिसमे सियाराम मीना निवासी स्यावता पोस्ट कनवाडा तह0दूनी जिला टोक की जन्मदिन पार्टी निजी फार्म मे दिनांक 16.12.2022 को मनाई थी जिसमे सियाराम मीना के दौस्तो ने मौबाईल फोन से परिवादी प्रहलाद रेगर को गालीया व जाति सूचक शब्दो से अपमानित किया था जिसकी जांच के लिये मेने सियाराम को बुलाया था। इस लिये सियाराम आज थाने पर आया ओर मुझे पैसे देने लगा तो मेने पुलिस थाने पर पैसे नही लिये ओर सियाराम को मेने मैरे पिछे–पिछे मोटरसाईकिल से आने हेतु इशारा करके गणेश रोड की तरफ रवाना हो गया जहा पर मैने सियाराम से 5000/–रूपये लेकर मेरे पहने हुये लॉवर की सामने की बायी जेब मे रखे थे। जो मैने टीम द्वारा पकडे जाने पर चुपके से रिश्वति राशि वत्सल मोबाईल शोप में बनी रेक मे रखे कॉर्टून पर डाल दी थी।** इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय आरोपी मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी मय हमराही जाप्ता मय ट्रेप बॉक्स मय प्राईवेट वाहन से थाना देवली से रवाना होकर वत्सल मोबाईल शोप ममता सर्किल देवली पहुॅचा। जहॉ आरोपी ने दुकान की बनी रेक में रखे कागज के कार्टुन पर रखी हुयी रिश्वति राशि की तरफ ईशारा कर बताया। जिस पर स्वतंत्र गवाह श्री सत्येन्द्र कुमार लोदी से रिश्वति राशि उठावाकर गिनवाये गये तो 500–500 के दस नोट 5000 रूपये होना पाया। जिनका मिलान पूर्व में तैयार की गई फर्द पेशकशी नोट एवं दृष्टान्त फिनोल्फथलीन पाउडर से दोनो गवाहान से नोटो के नम्बरो का मिलान करवाया तो दोनो गवाहान ने नोटो पर नम्बरो का मिलान कर रिश्वती राशि नोट 5000 रूपये होना बताया। जिनका विवरण विवरण निम्न प्रकार है –

1	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	6GV	881101
2	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	2EH	718132
3	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	8DH	996249
4	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	9VL	680242
5	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	6CM	413219

6	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	2CN	784395
7	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	7EF	578308
8	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	3BE	345693
9	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	7TB	152040
10	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	3ES	970654

तत्पश्चात् एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी डलवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाकर हाजरिन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित था। तैयारशुदा घोल में ट्रेप बॉक्स में से रूई का पोहा निकालकर मोबाईल की शोप की रेक में जहॉ से रिश्वति राशि बरामद हुयी कार्टुन के उपर पोहे से साफ करके पोहे को उक्त घोल में डुबोकर धोया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसको हाजरिन ने भी हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियो में आधा–आधा डलवाकर शील्ड चिट कर मार्क C–1 व C–2 अंकित कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए.सी.बी. लिया गया। रूई के पोहे को सुखाकर सफेद कपडे की थैली में शील्ड कर मार्क " C" अंकित कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए.सी.बी. लिया गया। तत्पश्यात वत्सल मोबाईल शॉप पर लगे सीसीटीवी कैमरा चलाकर रिकार्डिग दिखाने हेतु कहने पर दुकान के मालिक श्री रश्मि कुमार शर्मा ने चलाकर दिखाया तो समय 10.48 एएम से 10.55 एएम के बीच आरोपी द्वारा स्वंय की जैब से रिश्वति राशि निकाल कर दुकान की रेक मे रखना पाया गया है। वत्सल दुकान के मालिक को उक्त समय की रिकार्डिग को पेश करने हेतु कहा तो बताया कि मुझे कॉपी करना नही आता है। उक्त सीसीटीवी कैमरे मे रिकार्ड फुटेज को पृथक से पैन–ड्राईव मे कॉपी करवा कर वजह सबूत लिया जावेगा। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दुकान मालिक को उचित हिदायत दी गई। मन अतिरिरक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त रिश्वति राशि गवाह श्री सत्येन्द्र कुमार लोदी के पास सुरक्षित रखवाकर मय हमराहीयान के मौके से रवाना होकर थाना देवली पहुॅचा। आरोपी अर्जुनलाल मीना सहायक उप निरीक्षक को पहनने हेतु दुसरी पेन्ट की व्यवस्था करवाई जाकर उसके शरीर पर पहने हुये लोवर को ससम्मान उतरवाकर दुसरी पेन्ट पहनाई गई। तत्पश्चात् एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी डलवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाकर हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित था। तैयारशुदा घोल में आरोपी अर्जुनलाल मीना सहायक उप निरीक्षक की पहने हुये लोवर के सामने की बायी जेब को उल्टवाकर घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसको हाजरिन ने भी हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियो में आधा–आधा डलवाकर शील्ड चिट कर मार्क P–1 व P–2 अंकित कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए.सी.बी. लिया गया। तत्पश्चात् लोवर की सामने की बायी जेब को सुखाकर लोवर को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड कर मार्क " P" अंकित कर कब्जे ए.सी.बी. लिया गया। गवाह श्री सत्येन्द्र कुमार लोदी के पास पूर्व में सुरक्षित रखी रिश्वति राशि के 5 हजार के नोटों को एक कागज की चिट में सिल्ड कर मार्क–**एन** अंकित कर कागज पर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। इसी दौरान श्री जगदीश प्रसाद मीना पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना देवली जिला टोक थाना हाजा पर उपस्थित आये। जिनसे परिवादी के विरूद्व दर्ज परिवाद जिसकी जांच श्री अर्जुनलाल मीना स.उ.नि. कर रहे है को पेश करने हेतु कहा जिस पर थानाधिकारी देवली ने आरोपी की कार्यालय आलमारी में से निकालकर पेश किया जिसका मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अवलोकन किया गया तथा थानाधिकारी देवली को उक्त मूल परिवाद सुपर्द कर परिवाद की प्रमाणित फोटो प्रतियॉ पेश करने हेतु कहॉ जिस पर थानाधिकारी देवली ने फोटो प्रतियॉ स्वंय द्वारा प्रमाणित कर पेश की। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये

गये। समय 2.30 पी.एम. पर आरोपी श्री अर्जुन लाल मीना पुत्र स्वं श्री जयनारायण जाति मीना उम्र 54 साल निवासी मीनो का नयागॉव तहसील सावर जिला अजमेर हाल सापन्दा रोड, आजाद नगर कॉलोनी केकडी जिला अजमेर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना देवली जिला टोक द्वारा लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं कर्तव्यों का दुरूपयोग कर परिवादी श्री सियाराम मीना के विरूद्व पुलिस थाना देवली पर दर्ज परिवाद की जांच मे नाम हटाने व मदद करने की एवज मे वक्त मांग सत्यापन 5 हजार रूप्ये की मांग कर अपनी मांग के अनुसरण मे दौराने ट्रेप कार्यवाही 5000/–रूपये रिश्वत राशि गणेश रोड देवली पर अपने हाथ मे ग्रहण कर अपने पहने हुये लोवर की सामने की बायी जैब मे रख कर रवाना होकर ममता सर्किल देवली के पास स्थित वत्सल मोबाईल शोप मे बनी रेक मे रखे कॉर्टून पर डाल दी थी, जहा से रिश्वती राशि बरामद हुयी। आरोपी के उक्त कृत्य से जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 का अपराध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया। उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष आरोपी को उसके उक्त जुर्म एवं संवैधानिक अधिकारों से आगाह कराते हुए हस्ब कायदा गिरफ्तार किया गया। आरोपी की जामा तलाशी मे मिले मोबाईल सेमसग कम्पनी को सिल्ड कर मार्क एम अकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। समय 3.00 पी.एम.पर आरोपी अर्जुन लाल मीना सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना देवली के निवास स्थान पुलिस थाना परिसर मे बने बैरक मे आरोपी का लोहे का बक्शा व एक चारपाई रखी हुई मिले । आरोपी के बताये अनुसार दोनो स्वंतत्र गवाहान के समक्ष आरोपी के बक्शे की तलाशी लिवाई गई तो बक्शे मे अलावा पहनने के कपडे के अन्य कोई कीमती वस्तु, राशि नही मिली। समय 3.10 पी.एम. पर तलबशुदा श्री विनायक शर्मा फर्म के.शर्मा कम्प्यूटर पुलिस थाना देवली के सामने पुलिस थाना देवली पर उपस्थित आया जिसे श्री मौ0जुनैद हैड कानि0 32 मय श्री महेश कुमार कानि0 17 मय स्वंतन्त्र गवाहान श्री सत्येन्द्र कुमार लोदी प्राईवेट वाहन से वत्सल मोबाईल शॉप ममता सर्किल देवली पर लगे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज समय 10.48 एएम से 10.55 एएम के मध्य की रिकार्डिग प्राप्त करने हेतु उचित हिदायत कर रवाना किया गया। समय 3.40 पी.एम. पर श्री मौ0जुनैद हैड कानि0 32 मय श्री महेश कुमार कानि0 17 मय स्वंतन्त्र गवाहान श्री सत्येन्द्र कुमार लोदी मय श्री विनायक शर्मा के प्राईवेट वाहन से वत्सल मोबाईल शॉप ममता सर्किल देवली पर लगे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज समय 10.48 एएम से 10.55 एएम के मध्य की रिकार्डिग पेन–ड्राईव कम्पनी केडीएम 16जीबी मे कॉपी कर पुलिस थाना देवली पर उपस्थित आये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त पेन–ड्राईव को सरकारी लेपटोप मे लगा कर चला कर देखा गया जिसमे फुटेज की कॉपी होना पाया गया। उक्त पेन–ड्राईव को वजह सबूत शामिल पत्रावली किया गया। श्री विनायक शर्मा के.शर्मा कम्प्यूटर को उचित हिदायत कर पुलिस थाना देवली से रूखस्त किया गया। समय 4.11 पी.एम. पर मन अतिरक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान मय गिरफतारशुदा आरोपी अर्जुन लाल मीना सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना देवली मय सिल्डशुदा व जब्तशुदा आर्टिकल्स ,रिश्वत राशि मय लेपटॉप,प्रिन्टर ,ट्रेप बक्स के मय प्राईवेट वाहन से रवाना हुआ। समय 4.20 पी.एम. पर मन अतिरक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान मय गिरफतारशुदा आरोपी अर्जुन लाल मीना सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना देवली मय सिल्डशुदा व जब्तशुदा आर्टिकल्स ,रिश्वत राशि मय लेपटॉप,प्रिन्टर ,ट्रेप बक्स के मय प्राईवेट वाहन से घटना स्थल गणेश रोड देवली पहुच कर परिवादी की निशादेही से स्वतत्र गवाहान के समक्ष घटना स्थल गणेश रोड देवली प्रथम का नजरी निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका पृथक से मुर्तिब किया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान मय गिरफतारशुदा आरोपी अर्जुन लाल मीना मय परिवादी के प्राईवेट वाहन से ममता सर्किल वत्सल मोबाईल शॉप देवली रवाना हुआ। समय 5.10 पी.एम. पर मन अतिरक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान मय गिरफतारशुदा आरोपी अर्जुन लाल मीना सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना देवली मय प्राईवेट वाहन से घटना स्थल द्वितिय वत्सल मोबाईल शॉप ममता सर्किल देवली पहुच कर

मरिवादी की निशादेही से स्वतत्र गवाहान के समक्ष घटना स्थल द्वितिय वत्सल मोबाईल शॉप ममता सर्किल देवली का नजरी निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका पृथक से मुर्तिब किया गया। समय 6.00 पीएम मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान मय गिरफतारशुदा आरोपी अर्जुन लाल मीना मय परिवादी के प्राईवेट वाहन से कार्यालय टोक रवाना हुआ। समय 7.15 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय परिवादी मय गवाहान एवं गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री अर्जुन लाल मीना सहायक उप निरीक्षक मय सिल्डशुदा सेम्पल व रिश्वती राशि, जप्तशुदा आर्टिकल आदि के मय प्राईवेट वाहन के ए.सी.बी. कार्यालय टोक पहुँचा। समय 7.30 पी.एम. पर दिनांक 20.12.2022 को कार्यालय आलमारी मे सुरक्षित रखे गये रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आलमारी से निकलवा कर कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर उक्त वार्ताओं को परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुन–सुन कर वार्ताओं की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट श्री राजकुमार कानि0160 से टाईप करवाकर तैयार की गई। समय 8.50 पी0एम0 पर रिश्वत लेन–देन वार्ता से सम्बंधित मूल मैमोरी कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगाया जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर परिवादी व आरोपी के बीच रिश्वत लेन–देन के वक्त रूबरू वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुना गया, उक्त रिकार्ड वार्ता को सुन–सुन कर वार्ता की फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट श्री राजकुमार कानि0 160 से टाईप करवाकर तैयार की गई। समय 10.00 पी0एम0 पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेनदेन वार्ता से सम्बन्धित दोनों मूल मेमोरी कार्ड में दर्ज वार्ता को 3 पेन ड्राईव में कॉपी कर 2 पेन ड्राईव को पृथक–पृथक सफेद कपडे की थेली में सिल्ड कर मार्क **ए–1,ए–2** अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। एक पेन ड्राईव को अनुसंधान अधिकारी हेतु लिफाफे में रखकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 10.20 पी0एम0 पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेनदेन वार्ता से सम्बन्धित दोनों मूल मेमोरी कार्ड 16–16 जीबी को सुरक्षित हालात में एक सफैद कपडे की थैली में सिल्ड कर मार्क **"एम–1"** अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। समय 10.40 पी0एम0 पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को दौराने कार्यवाही उपयोग में ली गई पीतल की सील का अवलोकन करवाया गया तथा फर्द पर नमूना सील अंकित की गई। उपयोग में ली गई पीतल की सील को कार्यालय एसीबी टोंक के बाहर पत्थर से तुडवाई जाकर नष्ट की गई जिसकी फर्द नमूना व नाशान पीतल की सील मुर्तिब की गई एवं स्वतंत्र गवाह व परिवादी को मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया। समय 11.15 पी0एम0 पर ट्रेप कार्यवाही से सम्बंधित मालखाना जब्तशुदा व सिल्डशुदा आर्टिकल्स धोवण के सिल्ड सैम्पल्स मार्क **आर–1, आर–2, एल–1, एल–2,सी–1,सी–2** लोवर की जेब के धोवण का सेम्पल **पी–1,पी–2** एवं लोवर पेकिट मार्क–**पी**,रूई के पोहे का पैकिट मार्क–**सी** सिल्डशुदा रिश्वती राशि 5,000/– रूपये मार्क **एन**, रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत लेनदेन वार्ता से सम्बन्धित पेन ड्राईव पैकेट मार्क **ए–1, ए–2** एवं वार्ताओं से सम्बंधित मूल मैमोरी कार्ड के सिल्ड पैकेट मार्क **एम–1**,मोबाईल पैकिट मार्क–**एम** बतौर वजह सबूत जरिये मोहम्मद जुनैद है0कानि0 32 के जमा मालखाना करवाया गया। समय 11.25 पी0एम0 पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा रिश्वत लेनदेन वार्ता की पेन ड्राईव तैयार करने के सम्बध में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया। अब तक की ट्रेप कार्यवाही रिश्वत मांग सत्यापन, लेनदेन वार्ता फर्द ट्रान्सक्रिप्ट्स, रंनिंग नोट, फर्दात् से **आरोपी श्री अर्जुन लाल मीना पुत्र स्वं श्री जयनारायण जाति मीना उम्र 54 साल निवासी मीनो का नयागॉव तहसील सावर जिला अजमेर हाल सापन्दा रोड, आजाद नगर कॉलोनी केकडी जिला अजमेर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना देवली जिला टोक द्वारा लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं कर्तव्यों का दुरूपयोग कर परिवादी श्री सियाराम मीना के विरूद्व पुलिस थाना देवली पर दर्ज परिवाद की जांच मे नाम हटाने व मदद करने**

की एवज मे वक्त मांग सत्यापन 5 हजार रूप्ये की मांग कर अपनी मांग के अनुसरण मे दौराने ट्रेप कार्यवाही 5000/–रूपये रिश्वत राशि गणेश रोड देवली पर अपने हाथ मे ग्रहण कर अपने पहने हुये लोवर की सामने की बायी जैब मे रख कर रवाना होकर ममता सर्किल देवली के पास स्थित वत्सल मोबाईल शोप मे बनी रेक मे रखे कॉर्टून पर डाल दी थी, जहा से रिश्वती राशि बरामद हुयी। आरोपी के दोनों हाथों एवं लोवर की जेब का धोवण व वत्सल मोबाईल शोप मे बनी रेक मे रखे कॉर्टून के धोवण का रग हल्का गुलाबी होना पाया गया। आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशो) 2018 जुर्म प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया।

अतः श्री अर्जुन लाल मीना पुत्र स्व0 श्री जयनारायण जाति मीना उम्र 54 साल निवासी मीनो का नयागॉव तहसील सावर जिला अजमेर हाल सापन्दा रोड, आजाद नगर कॉलोनी केकडी जिला अजमेर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना देवली जिला टोक के विरूद्ध धारा उपरोक्त में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमाकंन सादर प्रेषित है।

(राजेश आर्य)
अति. पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट, श्री राजेश आर्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री अर्जुन लाल पुत्र श्री जयनारायण, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना देवली, जिला टोंक के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 482/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

22/12/22

(डॉ. विष्णु कान्त)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 4104-07 दिनांक 22.12.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला टोंक।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।